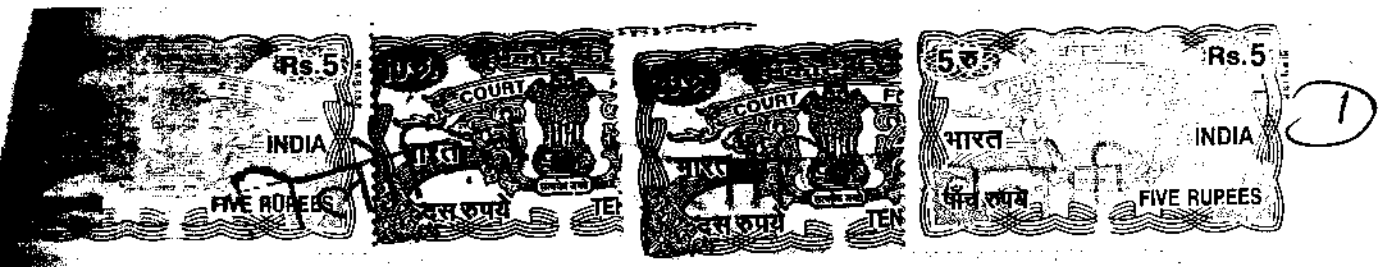

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल , ग्वालियर म0प्र0

नि0 -1807-I-16

1. अनिल साहू पिता श्री पूरनलाल साहू,

2. दिलीप साहू पिता श्री पूरनलाल साहू

3. प्रदीप साहू पिता श्री पूरनलाल साहू

सभी निवासी- ग्राम सिंगरावन, तहसील बण्डा, जिला सागर म0प्र0

...... आवेदकगण.

// विरुद्ध //

म0 प्र0 शासन ...... अनावेदक.

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बंडा जिला सागर म0प्र0 के रा0 प्र0 क्र0- 35/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक- 17.05.2016 से परिवेदित होकर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, आवेदक अनिल कुमार पिता पूरनलाल साहू ने एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय बण्डा के यहां इस आशय का पेश किया था कि, कन्छेदी पिता नाथूराम साहू ने ग्राम चारौधा की भूमि खसरा नंबर- 628, 629/1 रकबा 1.22, 0.30 कुल रकबा 1.52 एवं सिंगरावन की भूमि खसरा नं. 48/2, 244, 273/2 रकबा 2.48, 0.13, 0.23 कुल रकबा 3.20 हेक्टेयर भूमि का वसीयतनामा गवाहों के समक्ष दिनांक-08.02.2012 को निष्पादित किया था । वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक- 26.1.2014 को हो गई है । आवेदक वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराना चाहता है।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी बण्डा ने दिनांक- 29.4.2002 को सर्वथा विधि विरूद्ध, न्याय प्रक्रिया के प्रतिकूल, न्यायिक सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है । उक्त आदेश दि0-29.4.2002 न्यायिक एवं विधि सिद्धान्तों एवं विधिपरक व सत्य परक तथ्यों के आधार

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1807/एक/2016 जिला–सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4-8-16 | यह निगरानी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार बण्डा, जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 35/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार बण्डा, जिला सागर के न्यायालय में आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम चारौधा की भूमि खसरा नम्बर 628, 629/1 रकवा 1.22, 0,30 कुल रकवा 1.52 हैक्टेयर ग्राम सिंहरावन में स्थित भूमि खसरा ननं.48/2, 244, 273/2 रकवा 2.48, 0,13, 0.23 कुल रकवा 3.20 हैक्टेयर भूमि का वसीयतनामा दिनांक 08.02.2012 को आवेदकगण के पक्ष में भूमिस्वामी कन्छेदी पुत्र श्री नाथूराम साहू द्वारा सम्पादित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किया जाये। तहसील न्यायालय के समक्ष सुदामा द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 11.01.2014 प्रस्तुत कर उपरोक्त भूमि पर नामान्तरण की मांग की गयी है। तहसीदार न्यायालय द्वारा दोनों वसीयतनामों को प्रमाणित न मानकर सीताराम, हीरालाल, पूरनलाल, | |

रमेश कुमार एवं मुन्नालाल पुत्र श्री नाथूराम साहू का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 17.05.2016 पारित कियाा। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदकगण अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार बण्डा, जिला सागर द्वारा अपने आदेश में वसीयतनामा को अप्रमाणित माना है, जबकि वसीयतनामा के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किये गये थे तथा वसीयत के गवाहों के कथन कराये गये थे, ऐसी स्थिति में वसीयतनामा को अप्रमाणित मानना नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5– आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के हित में भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08.02.2012 को सम्पादित किया गया था, जिसमें भूमिस्वामी तथा गवाहों के फोटो व हस्ताक्षर सहित है तथा गवाहों द्वारा वसीयतनामा को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है, ऐसी स्थिति में वसीयतनामा को प्रमाणित मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की है। न्यायालय तहसीलदार बण्डा, जिला सागर द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है और ना ही इसे साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया

है, ऐसी स्थिति में अग्राह्य साक्ष्य के आधार पर जो आदेश तहसीलदार बण्डा, जिला सागर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बण्डा, जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण निराकरण गुण-दोषों पर करें, इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य